

स्त्री का बिना महरम के हज्ज करना

[हिन्दी]

حکم حج المرأة بدون محرم

[اللغة الهندية]

लेख

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एवं शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

बिना किसी महरम के स्त्री के हज्ज करने के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है, आशा है कि यह फत्वा उन स्त्रियों के लिए जो बिना किसी महरम के दंदनाती फिरती अथवा यात्रायें करती हैं, इस समस्या की गंभीरता को समझने और इस से बचने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

प्रश्न: यदि कोई स्त्री बिना महरम के हज्ज करे तो क्या उस का हज्ज उचित है? क्या समझदार बच्चा महरम बन सकता है? महरम के लिए क्या शर्त है?

उत्तर : उसका हज्ज तो उचित (सहीह) है किन्तु महरम के बिना उसका यह काम और यात्रा हराम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा है; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है:

((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم))

“कोई स्त्री बिना किसी महरम के यात्रा न करे।” (सहीह बुखारी: १८६२, सहीह मुस्लिम: १३४१)

छोटा नाबालिग (अवयस्क) बच्चा महरम नहीं हो सकता; क्योंकि वह तो स्वयं संरक्षण और देख रेख का ज़रूरतमंद है, अतः ऐसा नाबालिग बच्चा किसी दूसरे का संरक्षक और वली नहीं हो सकता है।

महरम के लिए शर्त यह है कि वह मुसलमान, पुरुष, बालिग और बुद्धिमान हो। जिस में यह शर्तें न हों, वह महरम नहीं हो सकता।

अत्यन्त खेदजनक बात यह है कि कुछ महिलायें बिना महरम के हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करने में बहुत कोताही से काम लेती हैं और वह इस का कारण यह बतलाती हैं कि उन का महरम उन्हें उड़ान भरने वाले हवाई अड्डे से विदा कर देता है और दूसरा महरम उन्हें प्रस्थान करने वाले हवाई अड्डे पर रिसीव कर लेता है, और हवाई जहाज़ में वह सुरक्षित होती है।

वास्तविकता यह है कि यह कारण कमजोर और अनाधार है क्योंकि विदा करने वाला महरम हवाई जहाज़ के भीतर जाकर उसे विदा नहीं करता है, बल्कि वह तो उसे लाउंज ही से विदा कर देता है।

तथा हो सकता है कि हवाई जहाज़ के उड़ान भरने में विलम्ब हो जाए है, इस प्रकार उस महिला के गुम होने का खतरा हो सकता है।

तथा ऐसा भी हो सकता है कि हवाई जहाज़ उड़ान भर जाए, किन्तु किसी कारणवश हवाई जहाज़ लक्षित हवाई अड्डे पर उतर ही नसके और उसे किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उतरना पड़े, ऐसी स्थिति में उस महिला के खोजाने का डर है।

इस बात की भी सम्भावना है कि हवाई जहाज़ अपने लक्षित एयरपोर्ट पर प्रस्थान कर जाए, परन्तु रिसीव करने के लिए आने वाला महरम बीमारी, नीन्द या गाड़ी के दुर्घटना ग्रस्त होने या इसी प्रकार के किसी अन्य कारणवश पहुँच न पाए।

यदि इन रुकावटों में से कोई भी रुकावट न हो और हवाई जहाज़ समय पर पहुँच जाए और उसे रिसीव करने के लिए आने वाला महरम भी आ जाए, किन्तु हो सकता है कि जहाज़ के भीतर उस महिला के बगल में बैठने वाला आदमी ऐसा हो जो अल्लाह से न डरता हो और अल्लाह के बन्दों पर उसे दया न आता हो, चुनांचे वह व्यक्ति उस महिला को बहलाए-फुसलाए और वह उस आदमी के फरेब में आ जाए, और इसके फलस्वरूप वह फित्ना और दुष्टता उत्पन्न हो जो कोई ढकी छुपी बात नहीं है।

अतः स्त्री पर अनिवार्य है कि वह अल्लाह से डरे और बिना महरम के यात्रा न करे। तथा औरतों के संरक्षकों को भी चाहिए कि जिन्हें अल्लाह तआला ने उन पर निगराँ (संरक्षक) बनाया है कि वह भी अल्लाह तआला से डरें और अपने महरमात (अपने अधीन स्त्रियों) के बारे में कोताही न करें और उन की गैरत और दीन दारी (धर्म-निष्ठता) मिट न जाए। क्योंकि मनुष्य से उस के परिवार के बारे में पूछा जाये गा, इस लिए कि अल्लाह तआला ने उन्हें उस के पास अमानत के रूप में रखा है। अल्लाह तआला का फर्मान है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[التحریم: ६]

“ऐ ईमान वालो! अपने आप को और अपने बीवी-बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ जिस का ईंधन मनुष्य और पत्थर हैं, जिस पर कठोर हृदय और तेज़ मिज़ाज़ फरिश्ते नियुक्त हैं, अल्लाह जो आदेश उन को देता है उसकी अवज्ञा नहीं करते, और जो आदेश उन को मिलता है उसे बजा लाते हैं।”

(सूरतुत-तहरीम: ६)

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@gmail.com